# फर्द अहकाम

## न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर

उगन्ती वगै0 बनाम नाहरसिंह

किस्म प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नं0...11...../2026

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनेशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 26.02.2026 | यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उगन्ती बेबा श्रीनारायण जाति मीना व अन्य निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर की ओर से श्री मो0 इस्लाम खान,, एडवोकेट ने न्यायालय के समक्ष पेश किया। वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।<br><br>वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत मामले में अंतरित निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है। इस बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे भूमि खसरा नंबर 1997 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 2027 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 2028 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 2030 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 2093 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 2095 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 3399 रकबा 0.38 है0, खसरा नंबर 3426 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम खण्डीप तह0 वजीरपुर में प्रार्थी के हिस्से में आगामी तारीख पेशी तक कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें और न ही अन्य किसी दीगर व्यक्ति से करावे तथा भूमि का दीगर जगह रहन वय नही करें, रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। तलबी अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 02.04.2026 को पेश हो।<br><br>उप जिला कलेक्टर वजीरपुर | |
| 2/4/26 | पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 1 उपस्थित [illegible] अप्रार्थी दिनांक 8/5/26 को पेश हो। | नाहरसिंह |
| 4/5/26 | पत्रावली वकील [illegible] के [illegible] दिनांक 8/5/26 के [illegible] प्रार्थना पत्र में यह भी निवेदन किया गया है कि उनका अप्रार्थी से राजीनामा हो चुका है और वे इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं और इसी स्टाट पर Not Press में खारिज करने का निवेदन किया है अतः पत्रावली Not Press में खारिज की जाती है पत्रावली चालू होकर नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील मूल वाद के साथ सलग्न रहे। साथ ही इस न्यायालय द्वारा पारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वापस ली जाती है | Press खारिज कर दिया जावे। 4/5/26<br>उप जिला कलेक्टर वजीरपुर |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sucha Rani Meena
Date: 2026.05.12 15:41:42 IST
Reason: SelfAttested